

आठवीं अनुसूची

[धारा 68(1) देखिए]

	केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के संशोधित किए जाने वाले उपबंध	संशोधन	संशोधन के प्रभावी होने की तारीख
	(1)	(2)	(3)
5			
10	केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004, जो अधिसूचना सं० सा०का०नि० 600(अ), तारीख 10 सितंबर, 2004 [23/2004- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन टी), तारीख 10 सितंबर, 2004] द्वारा प्रकाशित किए गए हैं, का नियम 3	केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के नियम 3 के उपनियम (1) में,— (क) खंड (ix) में अंत में आने वाले “और” शब्द का लोप किया जाएगा ; (ख) खंड (ix) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— “(ixक) वित्त अधिनियम की धारा 66क के अधीन उद्ग्रहणीय सेवा कर ; और ”।	18 अप्रैल, 2006
15			